No.A-12018/1/2013-Estt.VII / 666-681
Government of India
Central Water Commission

Room No.501(S), Sewa Bhawan,
R.K. Puram, New Delhi – 110066.

Dated: 24th April, 2015

To

All Head of Subordinate Offices of
Central Water Commission

Sub: Forwarding of a copy of Recruitment Rules, 2014 for the post of Stenographer Grade-II (Group-C) Ministerial Cadre of Subordinate Offices of CWC - reg.

Sir,

Please find enclosed a copy of notified Recruitment Rules, 2014 for the post of Stenographer Grade-II borne on the strength of Ministerial Cadre of Subordinate Offices of CWC for kind information and record.

Yours faithfully,

(P.K.SAXENA)
Section Officer

Copy to:-

1. Librarian, Library, CWC.
2. The Director, SMD Directorate, CWC, New Delhi. A hard copy of the Revision of Recruitment Rules, 2014 for the post of Stenographer Grade-II borne on the Ministerial Cadre of Subordinate Offices of CWC is forwarded with request to upload the same in the CWC website.
3. R.R. Folder, Estt-VII, CWC.

27-04

28/04/15

SMD अनु/Sec/निदे/Dte.
डायरी/Dy. No. 885
दिनांक/Dt. 28/04/15

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1534—1537

Dated : 20-12-2014

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 259.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल आयोग अनुसचिवीय समूह 'ग' पद (अधीनस्थ कार्यालय) भर्ती नियम, 2001 को, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-3 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय जल आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिक श्रेणी-2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग (अधीनस्थ कार्यालय) आशुलिपिक श्रेणी-2 समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-2	19* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह (समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) कौशल परीक्षा संन्नियम श्रुतलेख 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रति लेखन 50 मिनट (अंग्रेजी) या 65 मिनट (हिन्दी) (केवल कम्प्यूटर पर)	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमलेन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बाहर रहने के	लागू नहीं होता

(11)	
कारण रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :- 1. निदेशक (व्यय) या निदेशक (स्थापन) या सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य 3. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. ..../2014/फा.सं. 35/01/2013-स्थापना-1]

ए. के. कौशिक, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

G.S.R. 259.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Central Water Commission, Ministerial Group 'C' posts (Subordinate Offices) Recruitment Rules, 2001 in so far as they relate to the post of Stenographer Grade III except as respect things done or omitted to be done befdore such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II in the subordinate offices of the Central Water Commission, namely :—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Water Commission (Subordinate Offices), Stenographer Grade-II, (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, scale of Pay.— The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II	19* (2014) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	18-27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government) **Note:** The crucial date for determing the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 12th Class pass from a recognized University or Board. (ii) Skill Test Norms Dictation: 10mts @ 80 w.p.m. Transcription 50mts (English) or 65mts (Hindi) (Only on Computer)	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may by filled by deputation from the officials of the Central Government holding analogues posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruit at column. 7.	Not applicable

If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee : (i). Director (expnd.) or Director (E) or Secretary, Central Water Commission —Chairman (ii). Under Secretary, Central Electricity Authoity —Member (iii). Under Secretary, Central Water Commission —Member	Not applicable.

[No....../2014/F.No. 35/01/2013-Estt.I]

A. K. KAUSHIK, Under Secy.

MGIPRRND—5064 WR/2014—100 Copies.